उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,
लखनऊ – 226010

संख्या :- 14 /08/कम्प्यूटर- अनुभाग(बारह)/2018-21/01-परीक्षा/2018

लखनऊ : दिनांक : 12 मार्च, 2021

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2018, सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2018 के अन्तर्गत विज्ञापित महानिदेशक, प्रांतीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन कुल रिक्त 728 पदों पर चयन हेतु सम्पन्न लिखित परीक्षा एवं तत्पश्चात संपन्न न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता मापदंड तथा शारीरिक पात्रता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों का अर्हता/अभिलेखादि परीक्षण निम्नलिखित सारणी में दिये गये कार्यक्रम के अनुसार दिनांक-22-03-2021 से 25-03-2021 तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में आयोजित किया जायेगा-

क्र.सं.	दिनांक	प्रथम पाली (10:00 AM)	द्वितीय पाली (01:30 PM)	कुल
1	22-03-2021	31 (व्यायाम प्रशिक्षक)+50	81	162
2	23-03-2021	81	81	162
3	24-03-2021	81	81	162
4	25-03-2021	81	71	152
कुल योग				638

2- अर्हता/अभिलेखादि परीक्षण से संबन्धित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके Document Verification Letter व अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिये गए है। संबन्धित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के Homepage पर उपलब्ध Examination/Interview Segment के अंतर्गत Download Document Verification Letter पर क्लिक कर, वांछित प्रविष्टियां अंकित कर, आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपने Document Verification Letter व अन्य प्रपत्र Download कर सकेंगे।

3- उपर्युक्त अर्हता/अभिलेखादि परीक्षण हेतु निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी अथवा अन्य किसी उचित कारण से, यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अर्हता/अभिलेखादि परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा आयोग को यथासमय दी जाती है, तो आयोग की अनुमति के उपरान्त उसे दिनांक 25-03-2021 को द्वितीय पाली में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तदुपरान्त किसी भी अभ्यर्थी को अर्हता/अभिलेखादि परीक्षण हेतु पृथक से अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

4- संबन्धित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके शैक्षिक अभिलेखों का परीक्षण नहीं हुआ है, अर्हता/अभिलेखादि परीक्षण के समय गहनता से सभी मूल अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन किया जायेगा। अतः अर्हता/अभिलेखादि परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों की मूल प्रतियों एवं छायाप्रतियों के साथ ही डाऊनलोड किये गए Document Verification Letter व अन्य प्रपत्रों को प्रिंट कर व भरकर, निर्धारित तिथि व समय पर अर्हता/अभिलेखादि परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

12-03-2021
(राम नरेश प्रजापति)
अनुसचिव
कृते सचिव